न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 926/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00901)

1. सूबेसिंह पुत्र दुर्गा प्रसाद अहीर जाति अहीर निवासी रोडवाल तहसील नीमराना जिला अलवर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. बालादेवी पत्नी स्व. महादेव
2. रामानन्द पुत्र महादेव
3. तेजपाल पुत्र महादेव
4. राजपाल पुत्र महादेव
5. संगीता पुत्री महादेव

– रेस्पोडेन्टस

6. तहसीलदार नीमराना, तहसील नीमराना जिला अलवर।

– तरतीबी रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर अलवर दिनांक 10.11.2020 अपील संख्या 11/2014 बउनवानी बालादेवी बनाम सुबेसिंह में पारित किया गया।

उपस्थित–

1. श्री राजकुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री सचिन शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 5 की ओर।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट नं. 6 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक –04.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 10.11.2020 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार नीमराना (अलवर) ने दिनांक 27.01.2020 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 10 वाके ग्राम रोडवाल तहसील नीमराना जिला अलवर स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 27.10.2020 से व्यथित होकर रेस्पोडेन्टस द्वारा संख्या 1 लगायत 5 द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। जिला कलक्टर अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2020 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपील अपीलान्ट तहत न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेशित की गयी है कि तहसीलदार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर के निर्देश दिनांक 7.8.2019 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये दोनों पक्षों को सुनकर पुनः विधिवत आदेश पारित करें। अपील अपीलान्ट रिमान्ड की जाती है। तहसीलदार बहरोड द्वारा आदेश की कार्यवाही यथासम्भव एक माह में गुणावगुण के आधार पर की जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र विवादित आराजी का गोदनामे के आधार पर नामान्तरण खुलवाने हेतू तहसलीदार के (रेस्पोडेन्ट संख्या 6) के समक्ष दिनांक 26.08.2019 को पेश किया जिस पर प्रार्थी को सुनते हुये विद्वान तहसीलदार साहब दिनांक 27.01.2020 को आदेश पारित कर दिया । जिसके विरूद्व असल रेस्पोडेन्टस ने एक अपील मियाद बाहर विद्वान जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष पेश की । जिसको विद्वान जिला

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कलक्टर, अलवर ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.11.2020 द्वारा स्वीकार कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न ठोस आधारों पर अपील प्रस्तुत कर रहा है। विद्वान जिला कलक्टर, अलवर ने रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद धारा 5 मे वर्णित तथ्यो पर विश्वास करते हुये तथा नरमी का रुख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व प्रावधानो के विपरीत जाते हुये मियाद को माफ किया है क्योंकि प्रथम तो रेस्पोडेन्टस ने अपने मियाद प्रार्थना पत्र मे यह कही अंकित नही किया है कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र (नामान्तरण खुलवाने बाबत) की जानकारी नहीं थी और उक्त कार्यवाही मे उनके द्वारा उपस्थिति भी (रेस्पोडेन्टस द्वारा नामान्तरण नही खोलने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र) दर्ज करायी जा चुकी थी। जिससे से यह साबित होता है कि असल रेस्पोडेन्टस को उक्त निर्णय की जानकारी थी फिर भी उन्होने प्रस्तुत प्रार्थना अर्न्तगत धारा 5 मे गलत तथ्य अंकित किये गये व झूठा शपथ पत्र पेश किया। विद्वान जिला कलक्टर, अलवर द्वारा जिन पर विश्वास न कर उनके खिलाफ फौजदारी कार्यवाही किये जाने के आदेश देने चाहिये थे द्वितीय यह कि जब उच्च न्यायालय ने गोदनामे के आधार पर विधिक कार्यवाही करने हेतू आदेश दिये थे उसकी भी जानकारी असल रेस्पोडेन्टस को थी व उसके आधार पर दिनांक 26.08.2019 के बाद असल रेस्पोडेन्टस ने तहसीलदार के समक्ष नामान्तरण नही खोलने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया था जिससे उनको उक्त कार्यवाही की बखुबी जानकारी थी तृतीय यह कि नरम रूख उन व्यक्तियो व पक्षकार के प्रति अपनाना चाहिये जो कि क्लीन हैण्ड से माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्य व शपथ पत्र पेश करे। इसलिये असल रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही काबिले निस्तीय योग्य था व उक्त कृत्य के आधार पर विद्वान जिला कलक्टर, अलवर को उनके विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही करने के आदेश पारित करने चाहिये थे किन्तु विद्वान विद्वान जिला कलक्टर, अलवर ने इस और कोई ध्यान नही देते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधि द्वारा स्थापित विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील प्रथम दृष्टया चलने योग्य नही थी क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि दो आदेश के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत नही की जा सकती है फिर भी विद्वान जिला कलक्टर, अलवर ने उक्त विधिक सिद्धांत को अनदेखा करते हुये आक्षेपित निर्णय पारित करने मे भारी गम्भीर त्रुटि कारित की है जो कि विधि विरूद्ध होने से काबिले निरस्तीय योग्य है। विद्वान जिला कलक्टर, अलवर द्वारा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग कर विधिक प्रावधानों की अवहेलना में जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह विधि के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिये परन्तु ऐसा नही कर जो अपीलाधीन आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अलवर ने पारित किया है वह अवैधानिक होने से अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य हैं । विद्वान जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित निर्णय अपने आप मे विरोधाभाषी है क्योंकि पत्रावली को इस निर्देश के साथ तहसीलदार साहब को प्रतिप्रेषित किया है कि उच्च न्यायालय के निर्देश दिनांक 7.08.2019 मे दिये गये निर्देशो की पालना करते हुये दोनों पक्षो को सुनकर पुनः विधिवत आदेश पारित करें। जबकि उच्च न्यायालय ने मात्र गोदनामे के आधार पर प्रार्थी को विधिक कार्यवाही करने को स्वतन्त्र किया है न कि दोनो पक्षो को सुन कर निर्णय पारित करने को। इसलिये विद्वान जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विरोधाभाषी होने से काबिले निरस्तनीय है। असल रेस्पोडेन्टस ने व विद्वान जिला कलक्टर, अलवर ने विद्वान तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020 को विधि विरुद्ध नही बताया है इसलिये जहां पर कोई भी निर्णय विधि विरूद्ध नही है तो उस को मात्र इस आधार पर कि पक्षकारों / असल रेस्पोडेन्टस को सुनवाई का अवसर नही दिया गया हो व उनको जानकारी ही नही हो यहां यह उल्लेखित करना आवश्यक होगा कि असल रेस्पोडेन्टस को उक्त कार्यवाही व निर्णय की पूर्ण जानकारी होने के जानबूझ भी अपना पक्ष नही रखा का आधार बनाते हुये खारीज नही किया जा सकता है फिर भी उक्त तथ्य को अनदेखा करते हुये विद्वान जिला कलक्टर, अलवर ने आक्षेपित निर्णय पारित करने मे भारी

सभागीय आयुक्त
जयपुर

गम्भीर त्रुटि कारित की है जो कि काबिले निरस्ती है। विद्वान जिला कलक्टर, अलवर ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई ध्यान नही दिया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण को केवल प्रकरण को असल रेस्पोडेन्टस को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु के लिए प्रतिप्रेषित नही करना चाहिए, अपितु उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपील स्तर पर प्रकरण का निर्णय करना संभव नही हो तो ही प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिए जैसेः— अपील के दौरान अपीलीय न्यायालय को यह समाधान हो जावे कि विचारण न्यायालय में किसी पक्षकार को जबाब, साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही मिला है, जो कि मिलना आवश्यक है, अथवा विचारण न्यायालय द्वारा किसी ऐसे तथ्यात्मक बिन्दु के अवधारण में लोप किया गया हो जो कि प्रकरण के ठीक प्रकार से विनिश्चय हेतु परमावश्यक हो तो अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जा सकता है किन्तु जब इनमें से कोई भी परिस्थिति नही हो और पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य व दस्तावेज उपलब्ध हो, कोई अतिरिक्त साक्ष्य विचारण न्यायालय के स्तर से नही लिया जाना है और कोई नवीन साक्ष्य लिया जाकर प्रकरण का पुर्नविचार नही किया जाना है तो अपीलीय न्यायालय को स्वंय पत्रावली उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज की विवेचना कर निर्णय पारित करना चाहिए तथा प्रश्नगत अपील में ऐसा अपीलन्ट ने बखुबी दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित कर दिया था कि प्रार्थी/अपीलांट को जरिये पंजीकृत गोदनाम के द्वारा श्रीराम ने गोद लिया था इसलिये विद्वान जिला कलक्टर, अलवर को प्रतिपेषित करने का कोई आधार नही था विद्वान जिला कलक्टर, अलवर ने अपने द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में ऐसा कोई निष्कर्ष भी अंकित नही किया है इसलिए विद्वान जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 23, 23 (क) में विहित आज्ञापक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित निर्णय नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड है। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड निर्णय एक निर्णय की परिभाषा मे नही आता है इसलिए विद्वान जिला कलक्टर, अलवरद्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। रिमाण्ड के लिए सी.पी.सी. में केवल तीन ही प्रावधान आदेश 41 नियम 23, 23 (क), 25 है जिसके तहत कोई भी न्यायालय प्रकरण को रिमाण्ड कर सकता है लेकिन विद्वान जिला कलक्टर, अलवर ने अपने निर्णय में सीपीसी के उक्त नियमों को नजरअंदाज करते हुए विपक्षी की अपील को स्वीकार कर रिमाण्ड किया हैं क्योंकि सीपीसी के उक्त प्रावधान विद्वान जिला कलक्टर, अलवर के निर्णय में कही भी अंकित नही है कि रिमाण्ड क्यों किया जावे फिर भी विद्वान जिला कलक्टर, अलवरने उक्त लिखित सीपीसी के प्रावधानों के बाहर जाकर विपक्षी की अपील को बिना किसी आधार के रिमाण्ड किया है। जिससे विद्वान जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष समस्त दस्तावेज मौजूद थे तो विद्वान जिला कलक्टर, अलवर को दस्तावेजों के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर होने पर उसी न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। फिर भी विद्वान जिला कलक्टर, अलवर ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित करने में भारी गंभीर त्रुटि कारित की है जो काबिल निरस्त योग्य है। उक्त अपील मे चल रही कार्यवाही के दोरान असल रेस्पोडेन्टस ने माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी संख्या 3770/2020 उनवानी बालादेवी बनाम सुबेसिंह प्रस्तुत की थी जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.2020 को आदेश जारी करते हुये अपील की पत्रावली को तबल किया था इसलिये उक्त आदेश के आधार पर पत्रावली माननीय राजस्व न्यायालय के समक्ष चल रही निगरानी मे संलग्न हेतू भेजनी होनी चाहिये थी व उक्त अपील मे विद्वान जिला कलक्टर, अलवर द्वारा कोई कार्यवाही नही की जानी चाहिये थी फिर विद्वान जिला कलक्टर, अलवर ने आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया जो कि एक न्यायिक मंशा बाबत् त्रुटि होने से काबिले निरस्ती योग्य है अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित

माननीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 10.11.2020 को निरस्त फरमाया जाकर विद्वान तहसीलदार नीमराना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020 बहाल रखे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे । अन्य अनुतोष जो न्यायालय अपीलान्ट के पक्ष में प्रदान करना उचित समझे तो प्रदान करावें जावें ।

5. रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि जयकिशन, गोपाल नत्थूराम उर्फ नाथाराम व हरचन्द पुत्रान देवकरण जातियान अहीर थे। जयकिशन की विधिक वारिसान दौ पुत्रीयाँ गूँगी च रजवण थी जिना विवाह पूर्व में हो चुका तथा पुत्र नही था। जयकिशन ने अपने भतीजे श्रीराम पुत्र नत्थूराम को गोद ले लिया। गोपाल के दो पुत्र प्रताप तथा अमरसिंह तथा नत्थूरा के महादेव, भोलाराम, श्रीराम पुत्रान थे, भोलाराम अविवाहित फोत हो गया। तीसरा भाई श्रीराम अपने चाचा जयकिशन के गोद चला गया। महादेव के विधिक व जायज वारिसान अपीलान्ट है हरचन्द के रामजीलाल, दुर्गाप्रसाद, मनोहर, पुत्र है, रामजीलाल अविवाहित फौत हुआ। दुर्गाप्रसाद के वारिसान सुबेंसिंह, राजेन्द्र, अशोक, विजेन्द्र पुत्रान व पत्नि धीसी देवी है श्रीराम से के कोई जायज पुत्र नहीं था। रैस्पा० द्वारा एक गोदनामा दिनांक 21.11.1977 को तहरीर कराकर दिनांक 28.11.77 को उप पंजीयक बहरोड में तस्दीक कराया जबकि श्रीराम के जीवनकाल में सुबेसिंह द्वारा कभी भी देखभाल नहीं की। तथाकथित फर्जी गोदनामा की जानकारी होने पर श्रीराम द्वारा अपने जीवनकराल में एक दीवानी वाद संख्या 24/90 अनुवानी श्रीराम बनाम सुबेसिंह न्यायालय मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बहरोद की अदालत में प्रस्तुत किया जो वादी दिनांक 16.8.90 को डिक्री करते हुए गोदनामा निरस्त कर दिया गया। गोदनामा दीवानी अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में दायर की गयी। जिसमें अपील के निस्तारण तक स्थगन आदेश पारित कर दिया गया, और वर्तमान में अपील विचाराधीन है। सन् 1990 में दीवानी न्यायालय से गोदनामा निरस्ती वाद से लगभग 2 वर्ष पूर्व श्रीराम द्वारा अपने भाई महादेव के पक्ष में अपनी समस्त विधिक जायदाद वसीयतनामा दिनांक 8.12.1988 में तहरीर कर उप पंजीयक बहरोड में पंजीबद्ध करा दिया गया। श्रीराम की समस्त जायदाद उसके भाई महादेव को विरासत से प्राप्त हुई। महादेव की मृत्यु के बाद श्रीराम की जायदाद में अपीलान्ट के हित निहित हो चुकें । रैस्पो० को समस्त जानकारी होने बावजूद भी तहत अदालत में दिनांक 28.11.1977 के गोदनामा के आधार पर विवादित इंतकाल दर्ज व स्वीकार करा लिया, तहत अदालत ने अपीलान्ट को नोटिस जारी किये बिना ही तथा सुने बिना प्राकृतिक न्याय के सिन्द्धातों की अवहेलना करते हुए अपीलीय आदेश पारित कर दियें। जबकि तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी को विचाराधीन द्वितीय अपील की विस्तृत जानकारी थी। तहत अदालत द्वारा जानबूझकर रैस्पो० को सदोष लाभ पहुँचाने व अपीलान्ट को सदोष हानि पहुँचाने की दुर्भावनापूर्ण मंशा से अपने पदीय कर्तत्यों की अवहेलना करते हुए दीवना प्रक्रिया संहिता के तहत विधि सम्मत तरीके से नोटिस जारी किये व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवेहलना कर इंतकाल तस्दीक कर दिया गया। इंतकाल में वर्णित आराजीयत का समक्ष न्यायालयों में दीवानी व राजस्व वाद विचाराधीन है, का अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं हो जाता तब तक इंतकाल की कार्यवाही फिसकल प्रोसिडिंग होने के कारण स्थगित रखनी चाहिऐं, किन्तु तहत अदालत द्वारा ऐसा नहीं किया। रैस्पा० का प्राकृतिक पिता दुर्गाप्रसाद है तथा फर्जी नुमाईशी गोदनामा 1977 तहरीर होने 45 साल पश्चात श्री रेस्पो० समस्त निजी व सरकारी दस्तोवजात में रेस्पो० की वल्दियत दुर्गाप्रसाद दर्ज है। समस्त कार्यवाही एकतरफा में बगैर सुनवाई का समुचित अवसर दिए ही की गई है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाने हेतु निवेदन किया गया। जिला कलक्टर अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2020 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर यह आदेश दिये गये कि जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर ने आदेश दिनांक 07.08.2019 से यह निर्देशित किया है कि विवादित इंतकाल प्रश्नगत

समागीय आयुक्त
जयपुर

गोदनामे के आधार पर प्रत्यर्थी राजस्व अभिलेख में आवश्यक परिवर्तन कराने हेतु उचित विधिक कार्यवाही जो भी उसे उपलब्ध है वह कर सकेगा। परन्तु यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यर्थी प्रश्नगत गोदनामें से जो भी विधिक अधिकार उसे उपलब्ध है उनके संबंध में विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा। उक्त आदेश की पालना में तहत अदालत द्वारा गोदनामें के आधार पर कार्यवाही करना अपने आप में गलत नहीं था परन्तु दौराने विधिक कार्यवाही सभी पक्षों को सुनकर उसके उपरान्त इंतकाल की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। प्रकरण के अवलोकन से कहीं यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया हो जो न्यायहित में अनिवार्य है। अतः अपील अपीलान्ट तहत न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेशित की जाती है कि तहसीलदार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर के निर्देश दिनांक 07.8.2019 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये दोनों पक्षों को सुनकर पुनः विधिवत आदेश पारित करें। अपील अपीलान्ट रिमान्ड की जाती है। तहसीलदार बहरोड द्वारा आदेश की कार्यवाही यथासम्भव एक माह में गुणावगुण के आधार पर की जाने के आदेश पारित किये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि जिला कलक्टर अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2020 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर यह आदेश दिये गये कि जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से स्प ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर ने आदेश दिनांक 07.08.2019 से यह निर्देशित किया है कि विवादित इंतकाल प्रश्नगत गोदनामे के आधार पर प्रत्यर्थी राजस्व अभिलेख में आवश्यक परिवर्तन कराने हेतु उचित विधिक कार्यवाही जो भी उसे उपलब्ध है वह कर सकेगा। परन्तु यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यर्थी प्रश्नगत गोदनामें से जो भी विधिक अधिकार उसे उपलब्ध है उनके संबंध में विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा। उक्त आदेश की पालना में तहत अदालत द्वारा गोदनामें के आधार पर कार्यवाही करना अपने आप में गलत नहीं था परन्तु दौराने विधिक कार्यवाही सभी पक्षों को सुनकर उसके उपरान्त इंतकाल की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। प्रकरण के अवलोकन से कहीं यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया हो जो न्यायहित में अनिवार्य है। अतः अपील अपीलान्ट तहत न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेशित की जाती है कि तहसीलदार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर के निर्देश दिनांक 7.8.2019 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये दोनों पक्षों को सुनकर पुनः विधिवत आदेश पारित करें। अपील अपीलान्ट रिमान्ड की जाती है। तहसीलदार बहरोड द्वारा आदेश की कार्यवाही यथासम्भव एक माह में गुणावगुण के आधार पर की जाने के आदेश पारित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2020 उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2020 यथावत रखा जाता है।

(डॉ.आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 04.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।